



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092020-221733  
CG-DL-E-15092020-221733

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 243]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी-एमटीआर-11/2020

विषय: चीन जन.गण., वियतनाम और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्यूमिनियम एवं जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में कोरिया गण. से उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

फा. सं. 07/25/2020-डीजीटीआर.—मै. केजी डोंगबू स्टील कं. लि., कोरिया गण. (जिसे पहले डोंगबू स्टील कं., लि. कहा जाता था), कोरिया गण. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., वियतनाम और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्यूमिनियम एवं जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाली दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में नाम में परिवर्तन के लिए एक मध्यावधि

समीक्षा आवेदन दायर किया है। आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एक विदेशी उत्पादक/निर्यातक है और कंपनी कोरिया कार्मिशियल कोड के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में अधिनियमित है।

#### क. पृष्ठभूमि

1. 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., वियतनाम तथा कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्यूमिनियम एवं जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद” के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाली दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे।
2. केन्द्र सरकार ने दिनांक 23 जून, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद

3. उक्त जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन.गण., वियतनाम और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्यूमिनियम एवं जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद” थे। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद, वही है जो पूर्ववर्ती जांचों अर्थात् दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर के माध्यम से जारी अंतिम जांच परिणाम में था जिसे निम्नानुसार पीयूसी के रूप में परिभाषित किया गया है :

“स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद जो एल्यूमिनियम एवं जिंक के मिश्रण से प्लेटेड या कोटेड हों। एल्यूमिनियम और जिंक के इस मिश्रण में एक या उससे अधिक अतिरिक्त तत्व होते हैं जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से भार के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद कॉयल के रूप में या बिना कॉयल रूप में हो सकता है, चाहे प्लेन, नालीदार या प्रोफाइल रूप में हो अथवा नहीं। पीयूसी स्किन-पास्ड/टेम्पर मिल पर प्रसंस्कृत या नॉन स्क्रि पास्ट हो सकता है चाहे अतिरिक्त गैर-धात्विक कोटिंग के साथ अथवा उसके बिना सतह पर उपचारित हो अथवा नहीं। पीयूसी को विभिन्न व्यापारिक नामों में आपूर्ति किया जा सकता है जिनमें एलु जिंग, एल-जैडएन, जिंक एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम जिंक, जिंकालुमे, गलवालुमे आदि शामिल हैं परंतु यह इन तक सीमित नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि पीयूसी में जंग का प्रतिरोध होता है और यह अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है जिनमें अवसंरचना परियोजनाएं, सौर विद्युत परियोजनाएं, रूफिंग, वॉलिंग डेकिंग, क्लेडिंग और फ्रेमिंग, व्हाइट गुड और अनुप्रयोग, फर्नीचर और कलर कोटेड स्टील के लिए सबस्ट्रेट शामिल हैं परंतु ये इन तक सीमित नहीं है। पीयूसी में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :-

- i. एल्युमिनियम को जोड़े बिना जिंक से कोटेड स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद
- ii. जिंक को जोड़े बिना एल्युमिनियम से कोटेड स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद
- iii. पूर्व पेंटेड या कलर कोटेड एल्यूमिनियम जिंक एलाय कोटेड स्टील शीटें (प्री कोटेड एसजीएल शीटें)। ”

4. इस मध्यावधि समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

**ग. शामिल देश**

5. वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देश कोरिया गण. (जिसे संबद्ध देश भी कहा गया है) है।

**घ. समीक्षा के लिए आधार**

6. केजी डोंगबू स्टील कं. लि., ने यह बताते हुए एक मध्यावधि समीक्षा आवेदन दायर किया है कि कंपनी ने केजी स्टील के पक्ष में 39.98 प्रतिशत इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो केसी समूह का सदस्य है तथा जिसके पास अब आवेदक के 39.98 प्रतिशत शेयर हैं जो आवेदक का प्रमुख शेयर धारक है। इस आबंटन के परिणामस्वरूप कंपनी का नाम बदलकर केजी डोंगबू स्टील कं. लि. हो गया है। यह दावा किया गया है कि मूल कंपनी का नाम 2 अप्रैल, 2020 को केजी डोंगबू स्टील कं. लि. से बदलकर डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसके मद्देनजर उनके सभी निर्यात केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से होंगे और तदनुसार, डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड पर लागू शुल्क को केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी समान है।

**ड. जांच शुरुआत**

7. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और उनके अंतर्गत निर्मित पाटनरोधी निमावली में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।
8. आवेदक द्वारा कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता दर्शाने वाली परिवर्तित परिस्थितियों संबंधी प्रदत्त सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अब दिनांक 21 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और संबंधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 जून, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझते हैं। वर्तमान समीक्षा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, 2020 और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जून, 2020 के संबंध में मै. केजी डोंगबू स्टील कं. लि. द्वारा दावा किए गए नाम में परिवर्तन के पहलु तक सीमित है।

**च. जांच की अवधि**

9. चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच केवल नाम में परिवर्तन तक सीमित है, इसलिए प्राधिकारी समझते हैं कि जांच अवधि संगत नहीं है।

**छ. प्रक्रिया**

10. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**सूचना प्रस्तुत करना**

11. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) और [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसकी प्रति [ac11-dgtr@gov.in](mailto:ac11-dgtr@gov.in) तथा [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) को भेजी जानी चाहिए।
12. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
14. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
15. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी जाती है।

### **समय-सीमा**

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) तथा [adv12-dgtr@gov.in](mailto:adv12-dgtr@gov.in) और उसकी प्रति [ac11-dgtr@gov.in](mailto:ac11-dgtr@gov.in) तथा [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
19. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को यदि उसके किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है तो उसके 2 सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है :
  - क. गोपनीय रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित), और
  - ख. अगोपनीय रूप में चिह्नित दूरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित)
20. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

21. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
25. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

#### ड. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2020

**Case No. AD-MTR-11/2020**

**Subject: Initiation of Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP in the anti-dumping investigation concerning imports of “Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.**

**F. No. 7/25/2020-DGTR.**—A Mid-Term Review application has been filed by M/s. KG Dongbu Steel Co., Ltd., Korea RP (formerly called Dongbu Steel Co., Ltd.), Korea RP (hereinafter also referred to as “Applicant”) for change in name in the Final Findings issued by Designated Authority vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of Aluminium and Zinc coated flat products (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The Applicant is a foreign Producer/ Exporter of the product under consideration and the company is incorporated in the Republic of Korea, under the Korea Commercial Code.

**A. Background**

1. In accordance with Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had issued its final findings vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of “Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.
2. The Central Government, vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020, had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**B. Product under consideration**

3. The product under consideration (PUC) in the said investigation was “Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP. The product under consideration in the application is the same as the previous investigations i.e. final findings issued vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020, which defined PUC as follows-

*“Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc. This alloy of Aluminium and Zinc may contain one or more additional elements which in individual or in combination shall not exceed 3% by weight.*

*Further, the product under consideration may be in coil form or not in coil form whether or not plain, corrugated or in profiled form. PUC may be skin-passed / processed on tempermill or non-skin-passed whether or not surface treated with or without additional nonmetallic coating. PUC may be supplied in various trade names including but not limited to Alu-Zinc, Al-Zn, Zinc Aluminium, Aluminium Zinc, Zinalume, Galvalume etc. It is also noted that PUC offers resistance to corrosion and is used in many applications and sectors including but not limited to infrastructure projects, solar power projects, roofing, walling decking, cladding and framing, white*

*goods and appliances, furniture and substrate for colour coated steel. PUC does not include the following products: -*

- i. Flat rolled steel products coated with Zinc without addition of Aluminium;*
- ii. Flat rolled steel products coated with Aluminium without addition of Zinc;*
- iii. Pre-painted or colour coated Aluminum Zinc alloy coated steel sheets (Pre-coated SGL sheets). ”*

4. The product under consideration for this mid-term review remains unchanged.

### **C. Country Involved**

5. The country involved in the present review investigation is Korea RP (also referred to as subject country).

### **D. Grounds for Review**

6. KG Dongbu Steel Co., Ltd. has filed a Mid-Term Review application stating that the company issued 39.98% equity shares in favour of KG Steel, a member of the KG Group, which now holds 39.98% shares of the Applicant as the major shareholder of the Applicant. Consequent to this allotment, the name of the company was changed to KG Dongbu Steel Co. Ltd. It has been claimed that the original company name has changed on 02 April 2020 from KG Dongbu Steel Co. Ltd. to Dongbu Steel Co. Ltd. They have further claimed that in view of the same, all their exports will be in the name of KG Dongbu Steel Co. Ltd., and accordingly, the duty applicable on Dongbu Steel Co. Ltd. must be made applicable to KG Dongbu Steel Co. Ltd. as the entity is the same.

### **E. Initiation**

7. The Customs Tariff Act, and the Anti-dumping Rules made thereunder, requires the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duties.
8. Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a mid-term review, limited to change of name of producer/exporter from Korea RP, the Designated Authority now considers it appropriate to conduct a Mid Term Review of the Final Findings notified vide Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the anti-dumping Rules supra. The present review is limited to the aspect of name change claimed by KG Dongbu Steel Co. Ltd. with regard to the Final Findings Notification No. 6/4/2019-DGTR dated February 21, 2020 and Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated June 23, 2020.

### **F. Period of Investigation**

9. Since the present review investigation is restricted to only change of name, the Authority considers that the period of investigation is not relevant.

### **G. Procedure**

10. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**H. Submission of Information**

11. In view of the special circumstances arising out of this COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [advl2-dgtr@gov.in](mailto:advl2-dgtr@gov.in) with a copy to [ac11-dgtr@gov.in](mailto:ac11-dgtr@gov.in) and [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in).
12. The known producers/exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
14. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.
15. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**I. Time Limit**

16. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) and [advl2-dgtr@gov.in](mailto:advl2-dgtr@gov.in) with a copy to [ac11-dgtr@gov.in](mailto:ac11-dgtr@gov.in) and [dir12-dgtr@gov.in](mailto:dir12-dgtr@gov.in) within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

**J. Submission of information on confidential basis**

18. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
19. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - a. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - b. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **K. Inspection of Public File**

26. In terms of Rule 6(7) or the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining the public file in electronic mode is being worked out.

#### **L. Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority